न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर, **R.A.S.**

प्रकरण संख्या:—732/2020 दायर दिनांक:—29.07.2020

जीसीएमएस नं. 2020/00213

1. संतोष पुत्र सोनजी
2. सन्तरा पुत्री सोनजी
3. ओमप्रकाश पुत्र रतनलाल
4. रामवतार पुत्र रतनलाल
5. लच्छो पत्नि रतन लाल

जाति कोली निवासी खेडी हैवत तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

———सायलान—05

बनाम

1. दशरथ पुत्र स्वरूप
2. नरेश पुत्र दशरथ
3. रविन्द्र पुत्र दशरथ
4. लक्ष्मण पुत्र दशरथ

जाति जाट निवासी खेडी हैवत तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

5. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली

——गैरसायलान—02

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:— 1. श्री पी एल गोयल अधिवक्ता सायलान
2. श्री बनवारी गोस्वामी गैरसायलान 1 ता 4

निर्णय

दिनांक :— 22-11-21

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजीयात खसरा न0 286 रकबा 17 ऐयर, 1339 रकबा 45 ऐयर, 1346 रकबा 56 ऐयर, 1473 रकबा 60 ऐयर, 1663 रकबा 76 ऐयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.54 है0 ग्राम खेडीहैवत तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ स्थित है जो कि सायलान की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है।

आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में सायलान 1 व 2 हिस्सा 1/2 वहिस्सा बराबर तथा सायलान 3 ता 5 हिस्सा 1/2 व हिस्सा बराबर के संयुक्त खातेदार व काश्तकार है और उपरोक्त आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। गैरसायलान न0 1 ता 4 व अन्य किसी व्यक्ति का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

गैरसायलान न0 1 ता 4 लडाकू व वदमाश किस्म के मार्शल कौम के व्यक्ति है जो गरीब काश्तकार कि भूमि पर जबरण कब्जा कर उसे हडपने के प्रयास में—

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रहते है तथा उनकी नियत सायलान की संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा न0 1663 रकबा 76 ऐयर की हडपने की रही है जिसके लिये गैरसायलान न0 1 ता 4 आये दिन सायलान को हैरान व परेशान करते रहते है।

वाका दिनांक 05.07.2020 को सायलान अपनी आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र पर बुबाई हेतु दिन के करीब 10 बजे के आस पास गये तो वहा पर गैरसायलान न0 1 ता 4 अपने हमराहियों सहित मौके पर आ गये और सायलान से कहा कि खसरा न0 1663 की भूमि पर जुताई बुबाई मत करना इस पर हम बुबाई करेगें तो सायलान ने कहा कि ये जमीन तो हमारे खातेदारी व कब्जे काश्त की है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नही है तो इतना सुनते ही गैरसायलान एकदम नाराज हो गये और सायलान को यह ऐलानिया धमकी दी कि अगर तुमने इस जमीन पर बुबाई कि तो हम तुम्हारे हाथ पैर तोड देगे तुम्हे भूमि से जबरण लठठ के बल पर बेदखल कर भूमि पर कब्जा कर लेगे। भूमि को नाकाबिल काश्त बना देगे। गैरसायलान समझाने पर भी मानने तैयार नहीं है। इसलिये सायलान का प्रथम दृष्टया केस साबित है।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को दौराने दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाकर स्वयं या किसी अन्य के द्वारा सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त कि भूमि खसरा न0 1663 रकबा 76 ऐयर स्थित ग्राम खेडीहैवत तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ में सायलान के कब्जे काश्त में कोई मजामहत मदाखलत नहीं करे तथा सायलान को उक्त भूमि से जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करे और ना किसी अन्य से करावे और ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे सायलान के उपरोक्त आराजी में उनके हक हकूकों को कोई क्षति किसी प्रकार की पहूचे। सायलान को उक्त भूमि का शांतिपूर्वक उपभोग उपयोग करने देवे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 04 की ओर से दिनांक 15.07.22 को श्री बनवारी गोस्वामी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं जबाव पेश किया जो निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थना पत्र के मद न0 1 में सायल द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध कतई गलत एवं असत्य दावा स्थाई निषेधाज्ञा बिना किसी मजबूत आधारो के माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है, जिसमें सायल को हरगिज सफलता नहीं मिल सकती है।
2. प्रार्थना पत्र के मद न0 2 [illegible] गया है गलत है, स्वीकार नहीं है। उक्त मद में आराजीयात व [illegible] खैडी हैवत तहसील हिण्डौन में स्थित होना स्वीकार [illegible] 1663 रकबा 76 ऐयर ग्राम खैडी हैवत तहसील हिण्डौन में सायलान का कब्जा होना स्वीकार नहीं है, वास्तव में भूमि खसरा न0 1663 रकबा 76 ऐयर पर गैरसायल न0 1 ता 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

का सन् 2008 से काबिज व दखील होकर पर फसल काश्त करते चले आ रहे है।

3. प्रार्थनापत्र का मद न0 3 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है, स्वीकार नहीं है। मौके पर गैरसायल न0 1 बयाना 4 खसरा न0 1663 रकबा 76 ऐयर पर काबिज व दखील है, दिनांक 12.08.2008 को गैरसायल न0 1 ने सायल 3 ता 5 व सायल न0 1 ता 2 के पिता सोनजी से सम्पूर्ण खसरा न0 1663 रकबा 76 ऐयर बिल ऐवज 3,00,00/– में जरिये 20 रूपये के स्टाम्प पर तहरीर व तकमील गवाही गवाहान व नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर असल प्रतिज्ञा पत्र गैरसायल न0 1 के हवाले कर दिया, उक्त तारीख को उक्त खसरा न0 की भूमि पर कब्जा करा दिया, उक्त दिनांक को ही, बिल एवज 3,00,000/– रूपये सायल न0 1 व उसके पिता सोनजी तथा सायल न0 3 ता 5 ने गैरसायल न0 1 से नगद प्राप्त कर लिये। उक्त दिनांक को ही मौके पर उक्त आराजी पर गैरसायल नं. 1 का कब्जा करा दिया। तथा मौके पर गैरसायल नं 1 ता 4 द्वारा उक्त आराजी पर बाजरे की फसल काश्त कर रखी है, जिसकी निराई गुढाई, भी गैरसायल नं. 1 ता 4 द्वारा की गई है, फसल बाजरा मौके पर सरसब्ज हालत में खडी हुु है। गैरसायल नं. 1 ता 4 द्वारा उक्त आराजी के चारों तरफ पक्की बाउण्ड्री करा रखी है, भूमि की कीमतों में भारी वृद्धि होने के कारण सायलान के मन में बांके बदयांति आ गई है, गैरसायल नं. 1 ता 4 से अलग से और रूपये ऐंठने की फिराक में है, इस कारण झूठे एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर तथा सही तथ्यों को छिपाते हुये सायलान स्वच्छ ह्रदय से न्यायालय के समक्ष नहीं आये है। इसलिये सायलान अस्थाई निषेधाज्ञा जैसा पवित्र प्रतिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। सायलान का प्रार्थनापत्र टी0आई0 कब्जे के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। गैरसायलान न0 5 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आदेशिका दिनांक 15.07.2022 एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 675 वाके ग्राम खेडीहैवत तहसील सूरौठ पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। सायलान वकील ने लिखित बहस निम्नानुसार पेश की गई–

1. सायलान की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि आराजीयात खसरा नं. 286 रकबा 17 ऐयर, 1339 रकबा 45 ऐयर, 1346 रकबा 56 ऐयर, 1473 रकवा 60 ऐयर , 1663 रकबा 76 ऐयर, कुल [illegible] कुल रकबा 2.54 हैक्टयर ग्राम खेडीहैवत, तहसील हि[illegible] में स्थित [illegible] सायलान की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है [illegible] सं. 1 व 2 का हिस्सा 1/2 तथा सायलान 3 ता 5 का हिस्सा 1/2 [illegible]ने पर संयुक्त रूप से काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे थे, लेकिन सायलान को गैरसायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

लट्ठ के बल पर आये दिन दखलंदाजी कर भूमि को काश्त नहीं करने देते क्योंकि सायलान गरीब व अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जबकि गैरसायलान लट्ठ वाले , बाहुबली जाति से जाट हैं। दिनांक 05.07.2020 को सायलान को उक्त आराजीयात में जुताई बुवाई करने से व्यवधान पैदा किया तो सायलान द्वारा कानून की मदद लेकर गैरसायलान के विरुद्ध श्रीमान न्यायालय में दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा नं. 1269/2020 व प्रार्थनापत्र टीआई न्यायालय में पेश किया , जो कि वर्तमान में बहस में चल रहा है।

2. गैरसायलान अपनी हरकत से बाज नहीं आये और दिनांक 30.10.2022 को सुबह करीब 9 जे सायलान अपने खेत के रास्ते पर बुवाई करने गये थे तो गैरसायलान दशरथ पुत्र रामस्वरुप, नरेश पुत्र दशरथ, रविन्द्र पुत्र दशरथ, लक्ष्मण पुत्र दशरथ, नीरज पत्नि नरेश , सीमा पत्नि लक्ष्मण, दीपेश पत्नि रविन्द्र सभी ने सायलान से गंदी गंदी गालियां देते हुए जातिसूचक ब्द कहे और सायलान व सायलान के परिवारवालों के कपडे फाड दिय, खुरफी व बांक से मारपीट की। बडी मुश्किल से सायलान ने भागकर अपनी जान चायी जिसकी सायल रामअवतार द्वारा जरये पर्चा बयान एफआईआर नं. 485/22 थाना सूरौठ, धारा 143,323,341,447,354ख,504 आईपीसी व धारा 3(1)(आर),3(1)(एस),15ए (11)(जी),3(1)(डब्ल्यू)(i) एस.सी./एस.टी.एक्ट के तहत दर्ज की गई, जिसमें बाद अनसुधान , अनुसंधान अधिकारी द्वारा गैरसायलान के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान अनुसूचत जाति/जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय करौली में चालान पेश किया गया जो विचाराधीन है, फिर भी गैरसायलान, सायलान की भूमि को काश्त नहीं करने दे रहे हैं। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि सायलान की खातेदारी भूमि आराजीयात खसरा नं. 286 रकबा 17 ऐयर, 1339 रकबा 45 ऐयर, 1346 रकबा 56 ऐयर, 1473 रकबा 60 ऐयर , [illegible] रकबा 76 ऐयर, कुल किता 5 कुल रकबा 2.54 हैक्टयर [illegible] से जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करे, ना ही किसी अन्य से [illegible]वे और ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे सायलान के हक हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे। एवं गैरसायलान वकील द्वारा अपने बहस कथन में प्रकरण में प्रस्तुत जबाब प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पत्र के तथ्यों को दौहराते हुऐ, सायलान प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र लिखित वहस मय खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

वकील उभयपक्ष की लिखित वहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 675 वाके ग्राम खेडीहैवत हाल तहसील सूरोठ में भूमि सायलान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सायलान विवादित खसरा नम्बर पर वाद पत्र के तथ्यो के संबध में वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य व लिखित वहस में सावित करने में असफल रहा है। एवं गैरसायलान द्वारा लिखित वहस व अपने दस्तावेजी सबूत में सायलान के पिता द्वारा दिनांक 12.08.2008 को उक्त विवादित आराजी को बेचान के संबंध में प्रतिज्ञा पत्र गैरसायल नं. 01 के पक्ष में भारतीय गैरन्यायिक 20 रूपये का शपथ पत्र पेश किया। जिससे जाहिर होता है कि सायलान का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विन्दू सायलान के पक्ष में सावित नहीं होता है। इस प्रकार प्रकरण में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिंज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत विवादित ख0न0 1663 रकवा 76 ऐयर वाके ग्राम खेडीहैवत तहसील सूरोठ स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 22-11-24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner